Mandals) for adolescent grils in the age group of 11-18 years.

(xiv) *Balsevika Training Programe*:

This Programme was started to meet the requirements of trained personnel for the institutions implementing welfare programme for pre-school children. 100 per cent financial assistance is given to the Indian Council for Child Welfare, New Delhi for running the programme through 25 Balsevika Training Institutes.

(xv) Mahila Samriddhi Yojana:

Mahila Samriddhi Yojana (MSY) is a Central Sector Plan Scheme implemented through the network of Post Offices in rural areas. This Scheme encourages thrift so that these women can start their savings that assure themselves of security in times of need|

(xvi) *National Children's Fund*:

The main objective of the Fund is to mobilise resource from the community and uilise the interest accruing from investment of these resources for financial assistance to voluntary organisations for implementing schemes for the welfare and development of children. Schemes for the benefit of the Girl Child and the Adolescent Girls are given special priorities under National Children's Fund. During the SAARC Year of the Girl Child a special scheme for National Awards to the Girl Child was launched under NCF.

मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों का विकास

4929. श्री दिलीप सिंह जूदेव : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए इस समय चल रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है ;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान जिलेवार क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया/प्राप्त किया गया ;

(ग) क्या सरकार इस संबंध में कोई नई योजना आरम्भ करने का विचार रखती है ; और

(घ) यदि हां, तो चालू वित्त वर्ष के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया और इस वर्ष के दौरान इस उद्देश्य के लिए जिलेवार कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एवं बाल विकास) में राज्य मंत्री (श्रीमती वासवा राजेश्वरी) : (क) से (घ) सरकार समेकित ग्रामीण विकास सेवा कार्यक्रम की एक उप स्कीम के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं तथा बच्चों का विकास (डवाकरा) नामक एक स्कीम का कार्यान्वयन कर रही है । इस स्कीम का उद्देश्य स्वयं सतत आधार पर आयोत्पादक अवसरों का सृजन करके गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत करने वाले परिवारों की महिला सदस्यों के सामाजिक आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाना है । देश के सभी जिले जिनमें मध्य प्रदेश के 45 जिले भी शामिल है डवाकरा स्कीम का कार्यान्वयन कर रहे हैं । इसके अतिरिक्त ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा चलाई गयी योजना के अलावा महिला और बाल विकास विभाग भी निम्नलिखित मुख्य स्कीमें चला रहा है :—

1. समेकित बाल विकास सेवा

समेकित बाल विकास सेवा स्कीम सेवाओं का एक पिकेज उपलब्ध कराती है जिसमें स्कूल पूर्व शिक्षा, पूरक-पोषाहार तथा स्वास्थ्य जांच और संदर्भ सेवाएं आदि शामिल हैं । यह स्कीम 1975 में 33 आई० टी०डी०एस० परियोजना के साथ शुरु

की गई थी । अब 31-3-1995 की स्थिति के अनुसार इस स्कीम के अन्तर्गत देश भर में 3970 आई सी डी एस परियोजनाएं चल रही हैं । मध्य प्रदेश में 31-3-95 तक 298 आई सी डी एस परियोजनाएं स्वीकृत की गई थीं जिनमें से 266 परियोजनाएं चल रही हैं ।

2. महिला समृद्धि योजना

यह स्कीम 2 अक्टूबर 1993 से आरम्भ की गई थी । इस स्कीम का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को नकद प्रोत्साहन उपलब्ध कराकर उनमें बचत की आदत को प्रोत्साहित कराना है । मध्य प्रदेश में 31-3-95 की स्थिति के अनुसार खोले गये खातों की संख्या 9,04,301 है, जिनमें 562 करोड़ रुपये की राशि जमा है । जनवरी 1995 की स्थिति के अनुसार प्राप्त की गई उपलब्धियों का जिलावार ब्यौरा विवरण-II में दर्शाया गया है । (नीचे देखिए)

3. कामकाजी महिला होस्टल

यह स्कीम 1992-93 में शुरु की गई । इसका मुख्य उद्देश्य शहरों/कस्बों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में एकल कामकाजी महिलाओं को होस्टल आवास उपलब्ध कराना है । मध्य प्रदेश में 65 कामकाजी महिला होस्टल स्वीकृत किये जा चुके हैं । जिनमें 3307 कामकाजी महिलाओं को आवास उपलब्ध कराने की क्षमता है । गत तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में दो कामकाजी महिला होस्टल स्वीकृत किये गये ।

4. प्रशिक्षण-सह-रोजगार सहायता कार्यक्रम

यह स्कीम महिलाओं को स्वत: रोजगार तथा कौशल उन्नयन के लिए प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई थी । गत तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश राज्य में एक परियोजना स्वीकृत की जा चुकी है ।

5. महिलाओं के लिए प्रशिक्षण-सह-रोजगार केन्द्र

इस स्कीम का उद्देश्य जरुरतमंद महिलाओं को गैर-पारम्परिक क्षेत्र में रोजगार तथा प्रशिक्षण उपलब्ध कराना है। इस स्कीम के अंतर्गत नई परियोजनाओं तथा मौजूदा परियोजनाओं के विस्तार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है । गत तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश राज्य में 28 परियोजनाए स्वीकृत की जा चुकी हैं ।

6. अल्पावास गृह

यह स्कीम उन महिलाओं तथा लड़कियों का पुनर्वास करने के लिए आरम्भ की गई थी जो पारिवारिक समस्याओं के कारण सामाजिक तथा नैतिक खतरों, शोषण, अथवा अन्य कारणों से पीड़ित हैं। इस स्कीम के अंतर्गत चिकित्सा देखभाल, केसवर्क सेवाएं, शिक्षा तथा व्यावसायिक कार्यकलाप आदि शामिल है । गत तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश राज्य में 07 (सात) अल्पावास गृह संस्वीकृत किए जा चुके हैं ।

7. राष्ट्रीय महिला कोष

(क) राष्ट्रीय महिला कोष औपचारिक क्षेत्र में निर्धन महिलाओं को ऋण देने के लिए 31 करोड़ रु० की कोरपस निधि से वर्ष 1993 में स्थापित किया गया । गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से जरूरतमंद निर्धन महिलाओं को ऋण प्रदान किया जाता है । वर्ष 1994-95 तक मध्य प्रदेश राज्य में एक स्वयंसेवी संगठन को इस परियोजना के अंतर्गत सहायता उपलब्ध कराई गई जिससे 2250 महिला ऋण प्राप्तकर्ताओं को लाभान्वित किया गया ।

(ख) जहां तक इंदिरा स्कीम का संबंध है, इस स्कीम का राज्य वार प्रबोधन केन्द्रीय स्तर पर नहीं किया जाता, तथापि राज्य को एक इकाई के रूप में मानते हुए गत तीन वर्षों के दौरान निर्धारित लक्ष्य तथा उपलब्धियों का ब्यौरा:—

	लक्ष्य वर्ग	उपलब्धियां, बनाए गए समूहों की सं०
1992–93 . . .	810	529
1993–94 . . .	832	901
1994–95 . . .	1303	1344 (जनवरी, 1995 तक)

गत 3 वर्षों के दौरान अन्य स्कीमों के संबंध में निर्धारित लक्ष्य/उपलब्धियों के संबंध में सूचना निम्नानुसार है

स्कीम का नाम	निर्धारित लक्ष्य	गत 3 वर्षों के दौरान प्राप्त उपलब्धियां
1. समेकित बाल विकास सेवा	जिलेवार लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते ।	जैसाकि विवरण–I में दर्शाया गया है ।
2. महिला समृद्धि योजना	जिलेवार लक्ष्य तथा उपलब्धियों का ब्यौरा	अनुलग्नक–II में दिया गया है ।
3. कामकाजी महिला होस्टल	जिलेवार लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते ।	2 होस्टल
4. प्रशिक्षण तथा रोजगार सहायता कार्यक्रम	—तदैव—	1 परियोजना
5. महिलाओं के लिए प्रशिक्षण सह-रोजगार केन्द्र	—तदैव—	28 परियोजनाएं
6. अल्पावास गृह	—तदैव—	7 अल्पावास गृह
7. राष्ट्रीय महिला कोष	—तदैव—	2 परियोजनाएं

(ग) और (घ) मध्य प्रदेश के केवल ग्रामीण तथा आदिवासी क्षेत्रों में व्युत्त करने के लिए फिलहाल कोई नई स्कीम विचाराधीन नहीं है ।

विवरण–I

गत तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश राज्य में स्वीकृत आई सी डी एस परियोजनाओं की संख्या दर्शाने वाला विवरण

जिले का नाम	स्वीकृत नई आई सी डी एस परियोजनाओं की संख्या		
	1992-93	1993-94	1994–95
राज्य:मध्य प्रदेश			
दमोह	1	1	1
गुना	3	0	1
ग्वालियर	1	0	1
होशंगाबाद	2	0	2
पन्ना	2	0	1
रायसेन	3	0	1
शाहजहांपुर	3	0	1
शिवपुर	3	0	1
सिदी	0	2	0
मुरैना	3	0	3
सागर	3	0	2
सिहोर	2	0	1
भिण्ड	2	0	2
छतरपुर	3	0	1
टिकमगढ़	2	0	1
विदिशा	2	0	2
जोड़ :	35	3	21

*इनके अतिरिक्त 8 नई विश्व बैंक सहायता प्राप्त आई सी डी एस परियोजनाएं वर्ष 1994–95 के दौरान मध्य प्रदेश में स्वीकृत की गई ।

विवरण–II

महिला समृद्धि योजना

जनवरी, 1995 की स्थिति के अनुसार महिला समृद्धि योजना के अन्तर्गत खोले गए खातों की संख्या/उनमें जमा राशि तथा मार्च, 1995 तक निर्धारित लक्ष्यों की जिलेवार स्थिति दर्शाने वाला विवरण

क्र०सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मार्च, 1995 तक निष्पादन का प्रत्याशित स्तर (लाखों में)	जनवरी, 1995 तक खोले गए खातों की संख्या	जमा राशि (लाख रु० में)	निष्पादन के प्रत्याशित स्तर की तुलना में प्राप्त उपलब्धियों का प्रतिशत
1		2	3	4	5
	भोपाल				
1.	भोपाल	0.09	5827	1.74	64.74
2.	छत्तर पुर	0.33	2768	4.04	8.39
3.	टिकमगढ़	0.29	11641	3.49	40.85
4.	पन्ना	0.21	3345	2.39	15.93
5.	सागर	0.42	5126	3.63	12.20
6.	दमोह	0.27	16480	5.34	61.04
7.	नरसिंह पुर	0.24	8865	4.83	36.94
8.	होशंगाबाद	0.33	5570	4.71	16.80
9.	बेतुल	0.35	317	0.06	0.92
10.	विदिशा	0.27	10169	3.99	37.66
11.	रायसेन	0.27	7052	4.33	26.12
12.	बालाघाट	0.44	6394	5.46	14.70
13.	सिग्रोनी	0.33	7696	6.91	23.32
14.	मांडला	0.42	17131	8.44	40.79
15.	रायपुर	1.13	23831	22.25	21.18
16.	दुर्ग	0.56	5624	8.24	10.13
17.	राजनंदगांव	0.44	6149	6.19	14.14
18.	अम्बिकापुर	0.00	32187	20.16	ईआरआर
19.	रायगढ़	0.56	31482	25.42	56.72
20.	रीवा	0.47	19355	16.71	41.62

1	2	3	4	
21. सतना	0 42	26224	21.30	62.44
22. छिंदवाड़ा	0.44	7156	5.50	16.45
23. बतुल	0.35	29964	25.60	86.85
24. जगदलपुर	0.00	41314	19.33	ई आर आर
25. बिलासपुर	1.13	31494	15.52	27.99
26. जबलपुर	0.51	25352	17.33	49.71
27. शाहडोल	0.50	19957	11.04	40.32
28. सिदी	0.47	4417	3.09	9.50
29. गुना	0.38	10422	3.48	27.79
30. शिवपुरी	0.35	17948	5.03	52.02
31. ग्वालियर	0.21	3940	3.83	18.76
32. दतिया	0.11	4561	4.11	43.44
33. इन्दौर	0.20	6356	4.80	32.59
34. धार	0.42	7706	9.68	18.35
35. देवास	0.27	19862	9.64	73.56
36. खंडवा	0.00	5330	6.13	--
37. खारगांव	0.00	21633	20.19	—
38. मंदसौर	0.44	71028	32.07	163.28
39. मुरैना	0.48	9365	7.56	19.51
40. भिण्ड	0.35	4976	5.80	14.42
41. रतलाम	0.24	15858	14.57	66.08
42. झाबुआ	0.38	18031	7.59	48.08
43. सिहौर	0.24	5331	4.81	22.21
44. राजगढ़	0.30	1989	2.97	6.63
45. उज्जैन	0.30	16854	12.55	56.18
46. सजापुर	0.30	21022	18.54	(. (
47. पश्चिम निमार	0.62	—	—	0.00
48. पूर्वी निमार	0.38	—	—	0.00
49. सरगुजा	0.66	—	—	0.00
जोड :	18.20	675099	450.39	37.10